संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र. 3/प.क./ई.सी.– 2/ 2011/186 भोपाल, दिनाँक 21/02/11

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषय : परिवार कल्याण बीमा योजना दिनाँक 01.01.2011 से 31.12.2011 हेतु दिशा–निर्देश।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नसवंदी के हितग्राहियों को परिवार कल्याण बीमा योजना का लाभ राष्ट्रीय पॉलिसी के तहत दिया जाता है। इस योजना का लाभ ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा 29.11.2005 से 31.12.2007 तक दिया गया था। तत्पश्चात् इस योजना का लाभ आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा वर्ष 2008,2009 तथा वर्ष 2010 में दिया गया। इस योजना को भारत सरकार द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के साथ पुनः नवीनीकृत कर एक वर्ष के लिए वर्ष 2011 में भी लागू किया गया है।

यह योजना पुनः नवीनीकरण कर दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2011 तक निम्नानुसार मान्य की जावेगी –

1–ए नसबंदी के दौरान चिकित्सालय में या चिकित्सालय से छुट्टी के दिवस के 7 दिन के अंदर मृत्यु होने पर रूपये 2 लाख की राशि का भुगतान किया जायेगा। बिन्दु 3 का नियम भी देखे।

1–बी नसबंदी के पश्चात् अस्पताल से छुट्टी होने के 8 से 30 दिवस के अन्दर मृत्यु होने पर रूपये 50,000/– का भुगतान किया जायेगा।

1–सी असफल नसबंदी (बच्चा होने या न होने की स्थिति) होने पर रूपये 30,000/– का भुगतान किया जायेगा।

1–डी नसबंदी ऑपरेशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर हुई जटिलताओं के उपचार हेतु हुए वास्तविक व्यय का भुगतान किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 25,000/– की होगी।

II- इन्डेंमिनिटी इंश्योरेंस हेतु प्रति चिकित्सक/संस्था रूपये 2 लाख प्रति केस का भुगतान किया जायेगा, परन्तु यह संख्या एक वर्ष में 4 चिकित्सक/संस्था से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. नसबंदी ऑपरेशन पूर्व में दिये गये मानक निर्देशों का पालन करते हुये किये जायें, जिसके पूर्व में समय–समय पर निर्देश भी जारी किये गये हैं।

निरंतर . . . . . 2 . . .

3. सेक्शन 1ए के तहत–नसबंदी के दौरान चिकित्सालय में या चिकित्सालय से छुट्टी के दिवस के 7 दिन के अंदर मृत्यु होने पर जिला स्तर की रोगी कल्याण समिति द्वारा मृतक के प्रथम उत्तराधिकारी को रू. 50,000/– एक्सग्रेशिया के तौर पर दिये जायेगें।(इस नियम का पालन सिविल सर्जन सुनिश्चित करेंगे) प्रकरण का निपटारा होने पर यह राशि रू. 50,000/– जोकि बतौर एक्सग्रेशिया दी गई थी उसी जिले की रोगी कल्याण समिति को वापस की जायेगी। शेष राशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा दावाकर्ता को दिया जायेगा। इस हेतु जिलें में पदस्थ सी.एम.एच.ओ./सिविलसर्जन द्वारा दावा एवं चिकित्सकीय प्रमाणपत्र पर दावा प्रस्तुत करते समय यह उल्लेख किया जाये।

4. सेक्शन 1ए नसबंदी के दौरान चिकित्सालय में या चिकित्सालय से छुट्टी के दिवस के 7 दिन के अन्तराल पर मृत्यु होने पर एवं सेक्शन 1–बी नसबंदी के पश्चात् अस्पताल से छुट्टी होने के 8 से 30 दिवस के अन्दर मृत्यु होने पर दावा पति/पत्नि एवं मृतक के अविवाहित आश्रित बच्चों को बराबरी से दिया जायेगा। अतः ऑपरेशन कराने के पूर्व सहमति पत्र पर पति/पत्नी एवं समस्त अविवाहित बच्चों का नाम दर्ज होना आवश्यक है। यदि स्पाउस कोई नहीं है तो उस दशा में अविवाहित आश्रित बच्चो को भुगतान किया जायेगा। भुगतान के समय बीमा कम्पनी सर्वप्रथम राशि रू. 50,000/– रोगी कल्याण समिति को वापिस करेगी शेष राशि का भुगतान नियमानुसार बराबर–बराबर किया जायेगा। यदि आश्रित बच्चा अव्यस्क है तो बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान अव्यस्क बालक/बालिका के नाम पर ही किया जायेगा।

5. शासन द्वारा अभिप्रमाणित स्वास्थ्य संस्थाओं पर की गई नसबंदी के हितग्राहियों तथा शासन द्वारा अधिकृत (Empanelled)चिकित्सकों को भी योजना का लाभ प्राप्त होगा।

6. इस योजना के सुचारू संचालन एवं मॉनीटरिंग हेतु जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये जो जिले एवं बीमा कम्पनी के बीच समन्वय स्थापित कर सके। जिला नोडल अधिकारी प्रकरणों की त्रैमासिक जानकारी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में संचालनालय भेजना सुनिश्चित करेगा ताकि समय पर जानकारी भारत शासन को भेजी जा सके।

7. दिनांक 01.01.10 से 31.12.10 तक के जिलें के समस्त प्रकरण आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को भेज दिये गये होंगे। यदि प्रकरण नहीं भेजे गये हैं तो तत्काल आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रकरण भिजवायें। इस हेतु पूर्व में भी निर्देश दिये जा चुके हैं। आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी का पता निम्नानुसार है।

   आशीष श्रीवास्तव (मोबाईल – 9752095034)
   आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जी.आई.सी.
   अंलकार पैलेस, द्वितीय तल,
   कामर्शियल काम्प्लेक्स प्लॉट नं. 10 एवं 11
   एम.पी. नगर, जोन–2, भोपाल – 462001
   फोन – 0755–3918716,फैक्स – 0755–3918710

निरंतर . . . . . 3 . . .

8. जन जागरण हेतु जिला अस्पताल/सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर दीवार लेखन द्वारा योजना का प्रचार प्रसार किया जाये। इसके लिये एन.आर. एच.एम. के आई.ई.सी. मद से व्यय किया जा सकता है।

9. संचालनालय स्तर पर इस कार्य हेतु डॉ0 बी.एन. चौहान, संयुक्त संचालक, परिवार कल्याण, को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनका पता निम्नानुसार है।

डॉ0बी.एन. चौहान,
संयुक्त संचालक, परिवार कल्याण,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
चतुर्थ तल, सतपुडा भवन, भोपाल
ई–मेल **bnchauhan@mp.nic.in**
फोन – 0755--2551739

संलग्न :– त्रैमासिक जानकारी प्रपत्र।

(जे0एन0कंसोटिया)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 3/ प.क./ई.सी.– 2/ 2011/187 भोपाल,दिनाँक 21/02/11
03/03/11

प्रतिलिपि :–

1. अमित मोहन प्रसाद, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. मिशन संचालक आर0सी0एच0/एन0आर0एच0एम0 बैंक ऑफ इण्डिया भोपाल।
4. समस्त डीन, मेडिकल कॉलेज, म.प्र.।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, म.प्र.।
7. समस्त ब्लाक मेडिकल अधिकारी, म.प्र.।

आयुक्त स्वास्थ्य 14/3/11
मध्यप्रदेश

J.D(NRHM)

Mr. Thomas

Pl upload on the web site
22/3